राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 9 (4) (26)/छात्र/अपिव प्रस्ताव/सा.न्या.अ.वि./2007–08/ 33841-76 जयपुर, दिनांक: 8/06/17

निदेशक माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत शिक्षा	उप निदेशक/सहायक निदेशक/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त)

विषय :– अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना वर्ष 2016–17 के ऑनलाईन आवेदन पत्रो को वर्ष 2017–18 में कैरी फारवर्ड कर नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा वर्ष 2016–17 में अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत निर्धारित विभागीय प्राथमिकता क्रम 1 से 17 तक की श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों के ही पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन आमंत्रित किये गये थे। वर्ष 2016–17 में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्मित छात्रवृति पॉर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण वर्ष 2016–17 में छात्रवृति आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो सकी।

अतः वर्ष 2016–17 में योजनान्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन पेपरलेस आवेदन पत्रो को वर्ष 2017–18 में कैरी फारवर्ड कर वर्ष 2016–17 में केन्द्रीय सहायता राशि के आवंटित बजट मद में से निर्धारित प्राथमिकता क्रम 1 से 17 तक (1. बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री, 2. बी.पी.एल. कार्डधारक का पुत्र, 3.अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री, 4. अन्त्योदय कार्डधारक का पुत्र, 5. स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री, 6. स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक का पुत्र, 7. अनाथ बालिका, 8. अनाथ बालक, 9. विधवा स्वयं, 10. विधवा की पुत्री, 11.विधवा का पुत्र, 12. तलाकशुदा महिला स्वयं, 13. तलाकशुदा महिला की पुत्री, 14. तलाकशुदा महिला का पुत्र, 15. विशेष योग्यजन स्वयं, 16. विशेष योग्यजन की पुत्री एवं 17. विशेष योग्यजन का पुत्र) के **आवेदन पत्रों की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही दिनांक 15.7.2017 तक "पहले आओ–पहले पाओं" (FIFO) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।**

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक एफ 9 (4) (26)/छात्र/अपिव प्रस्ताव/सा.न्या.अ.वि./2007–08/ 33877-80 जयपुर, दिनांक: 8/06/17

प्रतिलिपिः
1. वित्तीय सलाहकार/अतिरिक्त निदेशक (एससीएसपी)/संयुक्त निदेशक (योजना) मुख्यावास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव